

न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं०-165 सन् 2012

जीतेन्द्र भारती.....वादी।

बनाम

शिवपारसी राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक- 05.12.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी०पी०सी० के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं० 01 शिवपारसी राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई। न्यायहित में प्रतिवादी सं० 0 का नाम कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि मृत प्रतिवादी सं० 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा-5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेट्टेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० 01 शिवपारसी राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई। वादी की ओर से उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 18.08.2023 को 500/-रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

सब जज

सोनपुर, सारण।

